

From,

Km. Farida Begum
Additional Principal Judge
Family Court, Jhansi.

To,

The Registrar General
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

Through,

The Principal Judge
Family Court, Jhansi.

Reference: Letter No. 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated July 16, 2024.

Subject: Regarding exercise of one time option to switch from National Pension System/New Pension Scheme to Old Pension Scheme in light of G.O.No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No. 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P.

Respected Sir,

Most respectfully, I wish to state on the above subject:-


1. That I was appointed in Uttar Pradesh Judicial Service by the order of Appointment Section-4 No. 418/do-4-08-32(1)/2001 TC-1 vide order dated 22.02.2008 of Uttar Pradesh Government.
2. That I had taken over charge on the post of Additional Civil Judge (Junior Division) at District Court, Rae Bareilly on 20.04.2009 in compliance of notification No. 224/A.R(S)/2009, dated 16.04.2009, issued by Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
3. That I had been appointed against the vacancies of Uttar Pradesh Judicial Services Examination-2003 advertised in the Employment Newspaper published on 22-28 November, 2003 as Advertisement No. A-2/E-1/2003.
4. That I am covered under Old Pension Scheme and entitled for Old Pension Scheme in the light of G.O. No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No. 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P.
5. That I wish to opt Old Pension Scheme in the light of G.O. No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No. 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P.


I, therefore, request to your goodself to kindly place my application along with option letter to opt Old Pension Scheme before the Hon'ble Court for kind perusal and consideration.

With regards.

Yours Faithfully,

Date:-16.08.2024

forwashed

15.8.2024
Principal Judge
Family Court, JHANSI.


(Km. Farida Begum)
Additional Principal Judge
Family Court, Jhansi.
J.O. Code U.P. 1541

Enclosure:


1. Option letter to opt Old Pension Scheme in the light of G.O. No. 14/2024/Sa-3-243 /X-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No. 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P.

शासनादेश संख्या- 20/ 2024/ सा- 3- 276/ दस- 2024/ 301(1) / 2024 दिनांक- 11 जुलाई, 2024 के
अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना के चयन का विकल्प पत्र

विकल्प पत्र


1. नाम फरीदा बेगम कु० फरीदा बेगम (KM. FARIDA BEGUM)
2. वर्तमान पदनाम- अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय झांसी ।
3. वेतनमान - J5- 144840- 194660
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग उत्तर प्रदेश शासन
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- न्याय विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
6. विज्ञप्ति की तिथि- (A- 2/ E- 1/ 2003 दिनांकित 15 नवम्बर 2003 व रोजगार समाचार दिनांकित 22- 28 नवम्बर 2003 में प्रकाशन ।
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 22. 02. 2008 (विज्ञप्ति सं० 418/ दो 4- 08- 32 (1) / 2001 टी सी- 1 दिनांक 22. 02. 2008)
8. योगदान की तिथि- 20. 04. 2009
9. जन्म तिथि- 30. 06. 1968
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 30. 06. 2028

मैं कु० फरीदा बेगम पुत्री स्व० अच्छन मियां शासनादेश संख्या- 14/ 2024/ सा- 3- 243/ दस- 2024/ 301(1) / 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) / नवीन पेंशन योजना (x) में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

हस्ताक्षर 
नाम - कु० फरीदा बेगम 16.08.2024
पदनाम- अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवारिक न्यायालय, झांसी ।
(JO Code No UP1541)


घोषणा पत्र

मैं कु० फरीदा बेगम पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, झांसी यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या- 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर 
नाम - कु० फरीदा बेगम 16.08.2024
पदनाम- अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवारिक न्यायालय, झांसी ।
(JO Code No UP1541)

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा

कु० फरीदा बेगम पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय झांसी को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) / नवीन पेंशन योजना (x) में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति / सहमति प्रदान की जाती है।


कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति
Principal Judge
Family Court, JHANSI

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/ रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/ नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3. केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4. इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/ संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/ शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/ नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/ अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेंनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-
- (1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।
 - (2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेंनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेंनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।
 - (3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।
 - (4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।
 - (5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।
 - (6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।
6. पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रभक,

बील रतन कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय/अध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश ।

3. समस्त मण्डल/सचिव/जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अर्थात्-3

संख्या-11/2024/सं-3-276/दस-2024/301(1)/2024

विषय- शासन/देश संख्या-14/2024/सं-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28

जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिख जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासन/देश संख्या-14/2024/सं-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून,

2024 द्वारा राष्ट्रीय प्रगती से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्यों,

जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विभाजन प्रदेश में नई

परिभाषित अंशदान प्रदान योजना (राष्ट्रीय प्रगती) नामांकित दिख जाने संबंधी

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व ही चुका था, को राष्ट्रीय

प्रगती प्रगती के स्थान पर प्रगती प्रदान योजना से आच्छादित दिख जाने की

व्यवस्था की गयी है।

2- संशोधित शासन/देश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में

कार्यों को राष्ट्रीय प्रगती के स्थान पर प्रगती प्रदान योजना का विकल्प चुने

जाने का प्रारूप इस शासन/देश के साथ संलग्न है।

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के
समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/एस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदव।

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2). निदेशक, धूम्र निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

सजय

अर्ज सचिव।

- 1- यह शासनादेश प्रलेखनिकारी जारी किया गया है, अतः इस पर इत्यादि की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.mp.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।